



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2020

No. 29-HLA of 2020/73/11630.— The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 29-HLA of 2020

THE HARYANA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020. Short title.
2. For clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the following clause shall be substituted, namely:— Amendment of section 9 of Haryana Act 6 of 2005.

“(b) for the financial year 2020-21, additional fiscal deficit of 2% over and above 3% of GSDP (upto 5% of GSDP) shall be permissible;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per recommendations of 12th Finance Commission, the State Government had enacted Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 vide notification dated 6th July 2005 with an objective to eliminate revenue deficit and to reduce the fiscal deficit within the prescribed limit. As per this Act, the revenue deficit was to be brought to zero by 2008-09 and the limit of fiscal deficit was kept at maximum of 3% of Gross State Domestic Product (GSDP). The condition for bringing Revenue Deficit to zero was relaxed for 2008-09 and 2009-10. With regard to Fiscal Deficit, in view of Ministry of Finance, Government of India Guidelines for Debt Consolidation and Relief Facility (DCRF) the target was relaxed from 3% to 3.5% of GSDP for 2008-09 and from 3.5% to 4% of GSDP for 2009-10. As per Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 the limit of outstanding total debt including contingent liability was 28% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP) from 2005-06 to 2009-10.

2. As per recommendations of the 13th Finance Commission and Ministry of Finance, Government of India Guidelines, the State was to attain target of zero revenue deficit from 2011-12 to 2014-15 and fiscal deficit at 3% of GSDP during 2010-11 to 2014-15. The outstanding debt as percentage of GSDP were required as 22.4% in 2010-11, 22.6% in 2011-12, 22.7% in 2012-13, 22.8% in 2013-14 and 22.9% in 2014-15. As per 14th Finance Commission, the State was to attain Zero revenue deficit target, fiscal deficit at 3% of the GSDP and to maintain the debt liability at 25% of the GSDP and Interest Payment at 10% of the Total Revenue Receipts.

3. The unprecedented COVID-19 pandemic in the current year has had a serious negative impact on the resources of both Central and State Governments. The States require additional resources to fight the pandemic and maintain the standards of service delivery to the public. To strengthen resources in the hands of State Governments, the Central Government has decided to provide additional borrowing limit of up to 2 percent of Gross State Domestic Product (GSDP) to the State for the year 2020-21.

4. The additional debt, while justifiable in the current situation, will need to be balanced against the need for long term debt sustainability, so that the excess borrowing undertaken now does not reduce lead to adverse impacts in the future. In order to ensure sustainability, there is a need to increase future GSDP growth and future revenues and or reduce unproductive future expenditures.

5. As per Ministry of Finance, Government of India letter dated 17 May 2020, the State Government may avail 2% additional borrowing of the GSDP over and above the target of 3% of the GSDP during current financial year 2020-21, subject to implementation of State Specific Reforms. Accordingly, the amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is to be made.

6. The objective of making further amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is to enable State to avail 2% additional borrowing of the Gross State Domestic Product amounting to Rs.17172.64 crore over and above the prescribed limit of 3% of the GSDP during the current financial year 2020-21.

The relaxation in borrowing limits will be partly unconditional and partly condition to:

- (a) Implementation of One Nation One Ration Card System;
- (b) Ease of doing business reform;
- (c) Urban Local Body/utility reforms; and
- (d) Power Sector reforms

Weightage of each reform is 0.25 percent of GSDP totaling to 1 percent. The remaining borrowing limit of 1 percent will be released in two installments of 0.50 percent each—first immediately to all the States as untied, and the second on undertaking at least 3 out of the above named reforms.

7. In view of the Ministry of Finance, Government of India letter dated 17 May 2020, further amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 25th August, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed enactment of Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2020 would qualify the State Government for availing additional 2% borrowing of Gross State Domestic Product (GSDP) over and above the 3% fiscal deficit of the GSDP (upto 5% of GSDP) amounting to Rs.17172.64 crores in 2020-21 subject to implementation of Specific State level Reforms namely:

- (a) Implementation of One Nation One Ration Card System;
- (b) Ease of doing business reform;
- (c) Urban Local Body/utility reforms; and
- (d) Power Sector reforms.

The relaxation in the borrowing limit will be partly unconditional and partly conditional.

Weightage of each reform is 0.25 percent of Gross State Domestic Product totaling to 1.0 percent. The remaining borrowing limit of 1.0 per cent will be released in two instalments of 0.50 per cent each- first immediately as untied and the second on undertaking at least 3 out of the above named reforms.

The State has to exhaust the additional borrowing of 2 percent of GSDP during the year 2021-21 (to the extent eligible) and it will not be allowed to carry forward to the subsequent years.

Prior to this, as per recommendations of 14th Finance Commission, being a revenue deficit State, the State Government can avail the borrowing upto 3% of the Gross State Domestic Product. Accordingly, the amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 29 एच.एल.ए.

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन)
विधेयक, 2020
हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित, किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के अतिरिक्त 2 प्रतिशत और (जी.एस.डी.पी. का पाँच प्रतिशत तक) अनुज्ञेय होगा।”।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को खत्म करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा तक कम करने के उद्देश्य से दिनांक 6 जुलाई, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, अधिनियमित किया था। इस अधिनियम के अनुसार, वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को शून्य पर लाया जाना था और राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3 प्रतिशत तक रखी गई थी। राजस्व घाटे को शून्य तक लाने की शर्त में वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के लिए ढील दी गई थी। राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में, ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर लक्ष्य में वर्ष 2008-09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की छूट दी गई थी। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2009-10 तक आकस्मिक दायित्वों सहित बकाया कुल ऋण की सीमा अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत थी।

2. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य को वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटे को शून्य तथा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। वर्ष 2010-11 में बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.4 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 22.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 में 22.9 प्रतिशत रखा जाना था। चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को राजस्व घाटे को शून्य तक लाना, राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक, बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक रखना तथा ब्याज भुगतान को कुल राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत तक रखना था।

3. चालू वर्ष में अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी का केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के संसाधनों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्यों को महामारी से लड़ने और लोगों को सेवा प्रदान करने के मानकों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के हाथों में संसाधनों को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकारों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ऋण सीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

4. अतिरिक्त ऋण, जो कि वर्तमान परिस्थिति में न्यायोचित है, दीर्घकालिक ऋण को संतुलित एवं इसकी स्थिरता कायम रखने के लिए आवश्यक है, ताकि अब लिए गए अतिरिक्त ऋण का भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, हमें भविष्य में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्वों को बढ़ाने और/या भविष्य में गैर-उत्पादक व्ययों को कम करने की आवश्यकता होगी।

5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17 मई, 2020 के अनुसार, राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण राज्य विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन ले सकती है। तदनुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन किया जाना है।

6. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन का उद्देश्य राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण, जो कि 17172.64 करोड़ रुपये बनता है, लेने हेतु पात्र बनाना है। ऋण सीमाओं में छूट आंशिक रूप से बिना शर्त और आंशिक रूप से सर्शत होगी:

- (क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
- (ख) कारोबार में सहूलियत के लिए सुधार;
- (ग) शहरी स्थानीय निकाय/निगम सुधार; एवं
- (घ) बिजली क्षेत्र में सुधार।

प्रत्येक सुधार का वेटेज (महत्व) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत तथा चारों का कुल 1.0 प्रतिशत होगा। सभी राज्यों को 1.0 प्रतिशत की शेष ऋण सीमा 0.50-0.50 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जायेगी, पहली किस्त तुरन्त बिना शर्त के तथा दूसरी उपरोक्त सुधारों में से कम से कम 3 की वचनबद्धता पर।

7. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17 मई, 2020 के मद्देनजर हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन अपेक्षित है।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रस्तावित अधिनियमन राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत तक) के 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे से अधिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण, जो कि 17172.64 करोड़ रुपये बनता है, विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त करने के योग्य बनाएगा:

- (क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
- (ख) कारोबार में सहूलियत के लिए सुधार;
- (ग) शहरी स्थानीय निकाय/निगम सुधार; एवं
- (घ) बिजली क्षेत्र में सुधार।

ऋण सीमा में छूट आंशिक रूप से बिना शर्त और आंशिक रूप से सर्शत होगी।

प्रत्येक सुधार का वेटेज (महत्व) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत तथा चारों का कुल 1.0 प्रतिशत होगा। 1.0 प्रतिशत की शेष ऋण सीमा 0.50-0.50 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जायेगी, पहली किस्त तुरन्त बिना शर्त के तथा दूसरी उपरोक्त सुधारों में से कम से कम 3 को भुरू करने पर।

राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण (विस्तारित पात्रता तक) को व्यय करना होगा और इसे अनुवर्ती वर्षों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

इससे पूर्व, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजकोषीय घाटे वाला राज्य होने के नाते राज्य सरकार अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक ऋण ले सकती थी। तदनुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 में संशोधन अपेक्षित है।